संख्या 558/चौवालिस-2-2/च0स0/88-91

प्रेषक,

श्री आर0 एस0 निगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों
से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 5 मई, 1995

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासनादेश संख्या 939/चौवालिस-2-2/च0स0/88-91, दिनांक 31 अगस्त, 1991 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवाकाल में मृत सेवकों के परिवारों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता पहुँचाने की दृष्टिकोण से परिवार के एक सदस्य को उसी निगम/उपक्रम में सेवायोजित करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किये गये थे। इस संदर्भ में कुछ निगमों/उपक्रमों द्वारा निजीकरण अथवा बन्दी की कार्यवाही के कारण पहले से नियुक्त फालतू कर्मचारियों को फालतू होने के आधार पर शासनादेश से छूट दिये जाने के प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये गये हैं।

2- निगमों/उपक्रमों की उपरोक्त कठिनाई पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निजीकरण अथवा बन्दी की कार्यवाही का निर्णय ले लिये जाने वाले निगमों/उपक्रमों को उक्त शासनादेश से छूट प्रदान कर दी जाय। आपसे अनुरोध है कि

कृपया अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों के संबंध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर0 एस0 निगम,
विशेष सचिव।

संख्या 558(1)/44-2-2-च0स0-88-91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 242-जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(3) कार्मिक अनुभाग-1।

आज्ञा से,
देवी प्रसाद साहू,
अनु सचिव।